आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–102/2020–21

1. सरिता देवी, पति–अशोक महतो, सा०–चिरगालडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची।..अपीलार्थी।

बनाम

1. अंचल अधिकारी, बुण्डू ....विपक्षी।

आदेश

19.11.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–620 R27/2018-2019 में दिनांक–21.06.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू	28	744	419	05 डिसमील

चौहदीः–उ०–10 फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता, द०–सर्वे प्लॉट नं०–416 का भाग।
पू०–सर्वे प्लॉट नं०–416 का भाग, प०–ग्रामीण रास्ता।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–620 R27/2018-2019 का ऑनलाईन जनित अस्वीकृति की सूचना की प्रति का अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार उपरोक्त भूमि को अपीलार्थी ने निबंधित विक्रय पट्टा सं०–2329/2649 द्वारा दिनांक–06.04.2018 को क्रय किया है एवं उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है। अपीलार्थी के पक्ष में विक्रय पट्टा के निष्पादन के समय किसी के द्वारा आपत्ति नहीं दी गयी। खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों के द्वारा शिवकुमार सिंह पिता भीम सिंह ग्राम लोवर करम टोली, थाना–लालपुर, जिला–राँची को निबंधित डीड संख्या–120/IV-3 द्वारा दिनांक–08/04/2017 को वैध मुख्तार (Power Holder) घोषित किया गया। जिसके पश्चात वैध मुख्तार (Power Holder) ने अपीलार्थी को उक्त भूमि निबंधित पट्टा द्वारा विक्रय कर दिया। उपरोक्त भूमि अंचल कार्यालय बुण्डू के पंजी।। जिल्द 7 के पृष्ठ 59 में नारायण राय के नाम से जमाबंदी कायम है जो कि विक्रेता के पूर्वज हैं। बावजूद इसके निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के दस्तावेजों की जाँच–पड़ताल किए बिना अपीलार्थी के नामांतरण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। अतः अनुरोध है कि इस अपील वाद को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय को उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपीलकर्त्ता के नाम से करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अंचल अधिकारी, बुण्डू के पत्रांक–627(ii) दिनांक–5.11.2020 के द्वारा Online Mutation Details की प्रति प्राप्त है। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार नामांतरण हेतु आवेदित भूमि दोहरी जमाबंदी से संबंधित है जिसके कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, अंचल प्रतिवेदन तथा अभिलेखबद्ध दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनके राजस्व दस्तावेजों की जाँच–पड़ताल करते हुए यदि दोहरी जमाबंदी रद्दीकरण की आवश्यकता है तो प्रस्ताव अभिलेख तैयार कर अग्रसारित करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2021.08.24 11:16:02 +05:30
Location: 10.93.79.7

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

1123(ii)/सु०
31.12.2020